न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/263/2006/करौली

1- श्रीमती स्वरुपी पत्नि श्री मोतीलाल पुत्री हरीराम जाति माली निवासी गाम अतेवा तहसील व जिला करौली।

...........वादी/अपीलांट

बनाम

1- केसरिया,
2- बृजलाल,
3- मुरारी,
4- हजारी,
5- श्रीमती दलबाई पुत्री भौरया पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम खोहरी तहसील एवं जिला करौली।
6- मु0 लोहरी बेवा भौरया जाति माली निवासी गैरई तहसील एवं जिला करौली।
7- सुगन पुत्र मूलचन्द,
8- श्रीमती हनुमन्ती पुत्री हरीराम पत्नि परसादी जाति माली निवासी ग्राम खोहरी तहसील एवं जिला करौली।
9- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।

.... प्रति0/रैस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलांट।
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1 ल0 6 व 8
(3) रेस्पो0 सं0 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-12-2005 अपील सं0 255/2004 बउनवानी भौरया बनाम हनुमन्ती के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय में वाद बाबत् दुरूस्ती, घोषणा व बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 448 1 बीघा 12 बिस्वा, 819 रकबा 2 बीघा किता 2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम गेरई तहसील करौली वादी के पिता व प्रति0 नं0 3 के पति हरीराम के कब्जे काश्त खतोदारी की है। पूर्व में हमारे बाबत मूलचन्द के कब्जे काश्त की आराजी रही है। इस साल आराजी ख0 नं0 819 में वादी बरछार करने लगी तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने काश्त करने से मना किया और कहा कि आराजी तो हमें तुम्हारी माँ प्रतिवादी सं0 3 ने पहले ही बेचान कर दी है, अब तुम्हे काश्त नहीं करने देगें। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रतनी प्रतिवादी सं0 3 ने आराजी अपने नाम करा ली जबकि वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी वादियान की है। अतः दावा वादी डिक्री कर वादग्रस्त आराजी में वादी को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को पाबन्द किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वाद वादी नं01 का वाद खारिज एवं वादी सं0 2 का दावा दिनांक 20-09-2004 डिक्री कर दिया जिस आदेश की अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17-12-2005 से अपील स्वीकार करते हुए उप जिला कलक्टर, करौली का निर्णय व डिक्री दि0 20-9-2004 निरस्त कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादिया के पिता हरीराम का देहान्त सन् 1992 में हो गया तथा उनके द्वारा धारित भूमि उनके वारिसान पर हिन्दू उत्त्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलांट पर धारित हुई। मु0 रतनी जो कि वादिया की माता थी, के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हो जाने से अपीलांट का हक विवादित भूमि में समाप्त नहीं होता तथा नामान्तकरण स्वीकार करने से मु0 रतनी को हरीराम की सम्पूर्ण भूमि पर कोई हक हासिल नहीं होते। नामान्तकरण स्वीकार करने के आधार पर रेस्पो0 मु0 रतनी को रेस्पो0 सं0 1 ल0 7 को सम्पूर्ण भूमि जिसकी कि अपीलांट भी सह

खातेदार थी को हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था तथा उक्त बेचान शून्य है जिसको निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। मु0 हनुमंती ने अपना 1/3 हिस्सा भौरया प्रतिवादी के हक में तर्क कर दिया अर्थात रतनी 1/3 स्वयं के हिस्से के अलावा अन्य हिस्से का बेचान नहीं कर सकती थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत था किन्तु अपीलीय न्यायालय का यह तर्क कि विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक वादी का दावा संधारण योग्य नहीं है। अपीलीय न्यायालय की दृष्टि में यदि विचारण न्यायालय ने कोई महत्वपूर्ण तनकी पर अपना निर्णय नहीं दिया तो अपीलीय न्यायालय को वे तनकी कायम करते हुए अपना निर्णय देना चाहिए या उस पर निर्णय करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 के कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि की 1/3 हिस्से की खातेदार है तथा रेस्पो0 का दावा इस बाबत नहीं होते हुए भी अपीलीय न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था। अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग से बाहर जाकर रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2005 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20-9-2004 को बहाल रखी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी जो कि रतनी बेवा हरिराम के कब्जे काश्त की थी को प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 28-6-1995 को जरिये रजिस्टर्ड सैल्डीड क्रय किया हे और क्रय के दिनांक से ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलांट केसरिया वगैरा वादग्रस्त आराजी के सद्भावी क्रेता है। आराजी का एक बार बेचान खातेदार द्धारा करने के बाद यदि कोई एग्रीव्ड बन कर दावा पेश करता है तो जब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं रहता है। यदि वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति रही है तो पहले उन्हें सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड सैलडीड दिनांक

28-6-1995 को निरस्त करवाना चाहिए तथा उसके बाद ही राजस्व न्यायालय में वाद लाना चाहिए था। वादग्रस्त आराजी से इनका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने कानून सम्मत एवं विधिनुसार निर्णय व डिक्री पारित की है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रश्नगत भूमि हरिराम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादिया नं0 1 ने प्रतिवादीगण से राजीनामा कर लिया है तथा वह अपना हक हिस्सा नहीं चाहती है। अतः वादिया नं0 1 की तरफ से दावा खारिज किया जाता है एवं वादिया नं0 2 का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 2/3 हिस्सा व वादिया नं0 2 मु0 स्वरूपी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड सैलडीड दिनांक 28-6-1995 को कहीं भी बेअसर घोषित कराने की रिलीफ नहीं चाही है, केवल मात्र घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है। तहत न्यायालय ने तनकी सं0 3 बनाई पर उसका विवेचन नहीं किया। वादग्रस्त आराजी मु0 रतनी से क्रय की गई है। बयनामा रतनी के खातेदार होने की पुष्टि स्वयं वादिया द्वारा अपने वादपत्र की मद नं0 3 में किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड सैलडीड से क्रय की गई है और वे सद्भावी क्रेता हैं। वादिया/रेस्पो0 द्वारा यदि किसी प्रकार की रिलीफ चाही थी तो पहले उन्हें रजिस्टर्ड सैलडीड को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाकर उसके बाद सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। जब तक रजिस्टर्ड सैलडीड अस्तित्व में है वादिया वादपत्र के जरिये किसी प्रकार की रिलीफ पाने की हकदार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त भी वादिया का नहीं होने और बिना कब्जे के धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं लाया जा सकता है। इसलिए तहत न्यायालय ने दस्तावेजात से बाहर जाकर अपना निर्णय दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20-9-2004 निरस्त की गई है।

8- प्रश्नगत अपील में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादग्रस्त भूमि हरिराम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादिया नं0 1 ने प्रतिवादीगण से राजीनामा कर लिया है

तथा वह अपना हक हिस्सा नहीं चाहती है। अतः वादिया नं0 1 की तरफ से दावा खारिज किया जाता है एवं वादिया नं0 2 का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 2/3 हिस्सा व वादिया नं0 2 मु0 स्वरूपी का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया है। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क था कि वादिया के पिता हरिराम का देहान्त सन् 1992 में हो गया तथा उनके द्धारा वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है। वादिया की माता के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में हक समाप्त नहीं होता है। चूंकि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीयात कायम की लेकिन उन पर विस्तृत विवेचन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय द्धारा उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते हैं और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

9- अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2005 अपास्त किया जाकर उप जिला कलक्टर, करौली द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-9-2004 यथावत् रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य